# Form No. III

## फर्द अहकाम

## (नियम 26)

**अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर**

मुकेश वगै0 बनाम गयादेवी वगै0

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट............अपील संख्या 94/24

GCMS NO 2024/154

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.12.24 | अपीलांट की और से श्री अशोक निमनका अधिवक्ता उप0। रेस्पो0 संख्या 4,5,6 व 12,13,14 की और से श्री रमाकांत शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। शामिल मिसल किया गया। शेष रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 व 7 ता 9 तथा 11 स्वयं न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए। रेस्पो0 संख्या 9 मु0मुरलिया के फौत होने से मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर मृतक का नाम अपील से हफज किये जाने का उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया। उपस्थित रेस्पो0 की पहचान रेस्पो0 के अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा द्वारा की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर पुनः विवादित आराजीयात के बंटवारे बाबत कुरेजात तहसीलदार से प्राप्त की जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने निवेदन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष आपस मे सहमत होने से प्रकरण को आपसी सहमति के आधार पर रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है। अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 108/24 मे पारित डिक्री दिनांक 8.10.24 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात की उभयपक्ष की मौजूदगी मे कुरेजात तहसीलदार से तैयार करवाई जाकर, प्राप्त कुरेजात के अनुसार एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के समक्ष दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।<br>निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया। | |

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:09:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner